



2026:AHC:4573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 18770 वर्ष 2025

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी/सहायक सहायक इंस्पेक्टर दानिश आलमयाचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है।
2. विद्वान अपर स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को बिना किसी स्वतंत्रता के वापस ले लिया गया मानकर निरस्त किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)